

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :- 2024 / 51

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में अब अस्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अतः यह पत्रावली खारिज फरमाई जावे। अतः पत्रावली अवलोकन किया गया जिसमें जवाब अप्रार्थी सं० 1, 2 में निवेदन किया गया है कि यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है खारिज फरमाया जावे। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली सारहीन होने के कारण व प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिलदफ़्तर हो।